फ़ाइल सं. 42001/01/2023/एनसीवीईटी

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद)

****

दिनांक: 15.11.2023

विषय: बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशल एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के संबंध में दिशानिर्देश।

1. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (एमएनसी) कुशल कार्यबल की स्थानीय और वैश्विक जरूरतों को पूरा करके देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को नियुक्त करने, उन्हें सर्वश्रेष्ठ तकनीकी जानकारी तथा अभिनव सोच में कुशल तथा प्रशिक्षित करने के लिए जानी जाती हैं। कौशलीकरण तंत्र में अग्रणी भारतीय उद्यमों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहभागिता अनिवार्य है क्योंकि वे न केवल कुशल कार्यबल के तौर पर उत्पादों और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता हैं बल्कि अपने उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के संबंध में विश्वस्तरीय कौशलीकरण के माध्यम से 'फ्यूचर ऑफ वर्क' के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक भी हैं।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) सभी प्रकार के अधिगम को मान्यता प्रदान करते हैं और सीखने वालों को कौशलीकरण से शिक्षा की और इसके विपरीत शिक्षा से कौशलीकरण की ओर जाने के लिए विभिन्न मार्ग उपलब्ध करवाते हैं। तदनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनी की अर्हताओं को मान्यता देने और औपचारिक रूप देने के लिए एनसीवीईटी द्वारा *"बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश"* तैयार किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य इन इकाइयों द्वारा दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देना, औपचारिक रूप देना और क्रेडिटाइज़ करना है।

3. इन दिशानिर्देशों को 17 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई एनसीवीईटी की 9वीं परिषद बैठक में अनुमोदित किया गया था और इन्हें एतदद्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों को लागू करने के दौरान प्राप्त फीडबैक और आवश्यकताओं के आधार पर एनसीवीईटी के अनुमोदन से इन दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किया जा सकता है।

हस्ता./-

कर्नल गुंजन चौधरी

निदेशक, एनसीवीईटी

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश

मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम) और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)
भारत सरकार

अतुल कुमार तिवारी, भा.प्र.से.
सचिव
Atul Kumar Tiwari, IAS
Secretary

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

प्राक्कथन

एक गतिशील और संवेदनशील कौशल विकास तंत्र के विकास और स्थायित्व के लिए 'उद्योग कनेक्ट' का लगातार बेहतर होना महत्वपूर्ण है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सेक्टर कौशल परिषदों के फ्रेमवर्क, प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) जैसे अभिनव कार्यक्रमों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ लचीले समझौता ज्ञापनों और प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजनाओं सहित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से कौशलीकरण के उद्योग कनेक्ट को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सामान्य रूप से उद्यमों ने और विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) ने एक निश्चित अवधि में कार्मिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने इन-हाउस प्रशिक्षणों को तैयार किया है और यह आवश्यक है कि हम देश में कौशल की समग्र कमी को दूर करने के लिए उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करें।

"बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश" उद्योग कनेक्ट को और बेहतर बनाने और पूरे कौशल तंत्र में कौशलीकरण की प्रासंगिकता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। इन दिशानिर्देशों की सहायता से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कौशल के क्षेत्र में माँग-आपूर्ति के बीच अंतर की समस्या को दूर करने में सक्रिय रूप से सहभागिता कर पाएँगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपनी अर्हताओं को औपचारिक रूप दे कर न केवल अपने इन-हाउस कार्यबल के कौशल का संवर्धन कर सकती हैं बल्कि कई अन्य लाभ भी प्राप्त कर सकती हैं।

इन दिशानिर्देशों से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और बेहतर रोजगार क्षमता के साथ-साथ मौजूदा मान्यताप्राप्त फ्रेमवर्क्स जैसे राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के साथ संरेखण किया जा सकेगा। ये दिशानिर्देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों (एबी) के माध्यम से, स्वयं अवार्डिंग निकाय के तौर पर मान्यता प्राप्त करके उनकी अर्हताओं को संरेखित करने, या बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यमों के रूप में अर्हताओं को संरेखित

करने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। यह सक्षम फ्रेमवर्क सभी हितधारकों - सीखने वाले, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, मूल उपकरण निर्माता, और सरकार के लिए लाभकारी हो सकता है। ये दिशानिर्देश सरकार द्वारा अर्हताओं को औपचारिक मान्यता देने, बेहतर विश्वसनीयता, सुचारू प्रक्रियाओं, एक समान प्रमाण-पत्रों, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और एनएसक्यूएफ के साथ संरेखण, बेहतर रोजगार क्षमता, प्रशिक्षण लागतों में कमी, कुशल कार्यबल की उपलब्धता, और आर्थिक विकास में एक सार्थक योगदान देने का माध्यम हैं।

ये दिशानिर्देश कौशल विकास प्रयासों में उद्योग की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सीखने वालों को उद्योग की वर्तमान और भविष्य की मांगों के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त हों। मैं आशा करता हूँ कि ये दिशानिर्देश एक अत्यधिक कुशल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करने की यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित होंगे।

अतुल कुमार तिवारी

कमरा नंबर 524, पांचवा तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष: 011-23465833, 23465834, फैक्स: 011-23465837, ई-मेल: secy-msde@nic.in
वेबसाइट: www.skillindia.gov.in

डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी
आईएएस (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार
चतुर्थ तल, कौशल भवन, चाणक्यपुरी,
भारत सरकार नई दिल्ली - 110023

प्रस्तावना

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्थानीय और वैश्विक बाज़ारों की जरूरतों को पूरा करके देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देती हैं। आज के प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण में अग्रणी बने रहने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (एमएनसी) अत्याधुनिक, नई और भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर काम करती हैं जिनके लिए उच्च गुणवत्ता के कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी बहुत तेज गति से विकसित हो रही है और कौशल आवश्यकताएँ भी तेजी से बदल रही हैं, जिससे जॉब मार्केट में प्रासंगिक बने रहने के लिए मौजूदा कार्यबल की अपस्किलिंग और री-स्किलिंग करते हुए निरंतर नए कार्यबल के शुरुआत से कौशलीकरण की तत्काल जरूरत बन रही है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को नियुक्त करने, उन्हें कौशल तथा प्रशिक्षण देने के लिए जानी जाती हैं, जिससे ये कंपनियाँ अपने उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं पर सर्वश्रेष्ठ तकनीकी जानकारी, सामान्य जानकारी, अभिनव सोच और प्रौद्योगिकी प्रदान कर पाती हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने स्वयं के आंतरिक परिनियोजन के लिए और अपने ग्राहकों के लिए कार्मिकों को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण तथा कौशल पाठ्यक्रम उद्योग में प्रतिष्ठित होते हैं और सही मायनों में वैश्विक जॉब मार्केट्स की जरूरतों के अनुरूप होते हैं। इसलिए ऐसे कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ छात्रों और सीखने वालों की जानकारी को उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं जिससे वे भारतीय और वैश्विक बाज़ारों के लिए रोजगार योग्य बनते हैं और जॉब के लिए तैयार होते हैं।

इसी संदर्भ में एनसीवीईटी द्वारा हितधारकों के साथ परामर्श से 'बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश' तैयार किए गए हैं। ये दिशानिर्देश छात्रों और सीखने वालों को शिक्षा से कौशलीकरण की ओर जाने और वापस शिक्षा की ओर आने के

लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करते हैं जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) सामान्य शिक्षा सहित विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए सभी प्रकार के अधिगम और अर्जित किए गए क्रेडिट्स को मान्यता देते हैं। किसी छात्र/शिक्षार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट्स एक पंजीकृत की गई अद्वितीय एपीएएआर (औटोमेटेड पर्मानेंट अकैडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी में जमा किए जाएंगे और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में संग्रहित किए जाएंगे।

इन दिशानिर्देशों में पहले से एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय (एबी) के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यमों की अर्हताओं के संरेखण, उनके द्वारा स्वयं अवार्डिंग निकाय के तौर पर मान्यता प्राप्त करने, या अवार्डिंग निकाय बने बिना या किसी अन्य अवार्डिंग निकाय के माध्यम से जाए बिना बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम के तौर पर केवल उनके प्रशिक्षण और कौशलीकरण के संरेखण के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों को और विशेष रूप से क्षमता तथा प्रचालन के पैमाने के संदर्भ में लागू होने वाले कुछ मूलभूत मानदंडों को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार अधिगम को क्रेडिटाइज़ करने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों के लिए मान्यता प्रदान करने और संरेखण की प्रक्रिया एक लचीले, प्रयोक्ता-अनुकूल और फास्ट ट्रैक तरीके से डिज़ाइन की गई है।

मैं सभी हितधारकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी सक्रिय सहभागिता ने इन व्यापक दिशानिर्देशों को तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, विशेष रूप से श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सक्षम मार्गदर्शन में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा दिए गए इनपुट्स के लिए। मैं कर्नल संतोष कुमार, निदेशक, एनसीवीईटी और उनकी टीम के सदस्यों श्री शौर्य संगम, श्री प्रदीप थोटा, श्री बालाजी भास्करन, और सुश्री सृष्टि झा के साथ-साथ कार्यपालक सदस्यों डॉ. नीना पाहुजा और डॉ. विनीता अग्रवाल के नेतृत्व में एनसीवीईटी में किए गए काम के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि 'गिग इकॉनमी' और 'फ्यूचर ऑफ वर्क' की दुनिया में इन दिशानिर्देशों की मदद से आसानी से उपलब्ध भविष्य के कौशल के साथ विश्वस्तरीय कार्यबल का एक पूल बनाया जा सकेगा और ये भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने में भी सहायक होंगे।

(डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी)

विषय-सूची

1	परिचय	9
1.1	पृष्ठभूमि और आवश्यकता	9
1.2	शिक्षा और कौशलीकरण में नीतिगत प्रयास	10
1.3	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)	11
1.4	राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)	12
2	दिशानिर्देशों का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र	13
2.1	उद्देश्य	13
2.2	कार्यक्षेत्र	14
3	परिभाषाएँ	14
3.1	बहुराष्ट्रीय कंपनी	14
3.1.1	इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण सेवाओं (ईएमएस) सहित मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)	15
3.1.2	मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम)	15
3.1.3	मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर)	16
3.1.4	वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण	16
3.2	अन्य अग्रणी भारतीय उद्यम	16
3.3	मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय	16
3.4	मान्यताप्राप्त आकलन एजेंसी	17
4	कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन	17
4.1	राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित और अनुमोदित “अर्हता”	17
4.2	कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को मान्यता दिलवाने के मानदंड	17
4.2.1	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए	17
4.2.2	अग्रणी भारतीय उद्यमों के लिए	18
4.2.3	कंपनी की कानूनी स्थिति और अन्य शर्तें:	19
4.2.4	ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम प्लेटफॉर्म्स और एड्यू टेक/ईडी टेक कंपनियाँ इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं	19
4.2.5	मानदंडों में संशोधन	19
4.3	बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन की	19

	प्रक्रिया	
4.3.1	अवार्डिंग निकाय के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता (मानक/दोहरी) प्राप्त करने के बाद अवार्डिंग निकाय के तौर पर एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत करना	20
4.3.2	संबंधित क्षेत्र में पहले से एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत करना	20
4.3.3	एक बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम के रूप में एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत करना	21
4.4	अवार्डिंग निकाय के तौर पर एनसीवीईटी की मान्यता (मानक/दोहरी) प्राप्त करने की प्रक्रिया	21
4.4.1	मानक श्रेणी अवार्डिंग निकाय के तौर पर:	22
4.4.2	दोहरी श्रेणी अवार्डिंग निकाय के तौर पर:	22
4.4.3	अवार्डिंग निकाय के तौर पर मान्यता (मानक या दोहरी) प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रारूप	22
4.5	कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का अनुमोदन:	23
4.6	बहुराष्ट्रीय कंपनियों या अग्रणी भारतीय उद्यम के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं की प्रकृति	24
4.7	कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का क्रेडिटाइजेशन और प्रमाणन	24
4.7.1	क्रेडिटाइजेशन और प्रमाणन	24
4.7.2	प्रमाण-पत्र के प्रारूप	24
4.7.3	कौशल भारत ब्रांडिंग	25
4.8	डेटा साझा करना:	25
4.9	अन्य लागू एनसीवीईटी दिशानिर्देश:	26
5	हितधारकों के लिए सुविधाएं और लाभ	27
	अनुबंध 1	29
	अनुबंध 2	31
	आवेदन पत्र	31
	अनुबंध 3	37
	शिक्षा और/या कौशल विकास के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/करार वाली कंपनियाँ	37

1. परिचय

1.1. पृष्ठभूमि और आवश्यकता

आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (एमएनसी) अत्याधुनिक, नई और भविष्य की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करती हैं और उन पर काम करती हैं जिनके लिए ऑपरेटर्स, तकनीशियनों, एक्जीक्यूटिव्ज, इंजीनियर्स, विशेषज्ञों, और अन्य पेशेवरों सहित सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता के कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल की जरूरत होती है। ये कंपनियाँ स्थानीय और वैश्विक जरूरतों को पूरा करके देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देती हैं। तेजी से आगे बढ़ती और वैश्वीकृत होती विश्व की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के कारण कौशल की माँग और बढ़ गई है। प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इसलिए जॉब मार्केट में प्रासंगिक तथा अपडेट रहने के लिए सीखने वालों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल को निरंतर अपग्रेड करने की जरूरत होती है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को नियुक्त करने, उन्हें कौशल तथा प्रशिक्षण देने के लिए जानी जाती हैं, जिसके कारण ये कंपनियाँ अपने उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी जानकारी और अभिनव सोच दे पाती हैं। इससे शिक्षार्थियों को अन्य कंपनियों के पास उपलब्ध समान उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं की मूलभूत जानकारी भी प्राप्त होती है। इनमें से अधिकतर कंपनियाँ अपने कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों की जानकारी रखने वाले कार्मिकों का एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पूल तैयार कर लेती हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने स्वयं के आंतरिक परिनियोजन के लिए और अपने ग्राहकों के लिए कार्मिकों को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण तथा कौशलीकरण पाठ्यक्रम उद्योग में प्रतिष्ठित होते हैं और सही मायनों में वैश्विक जॉब मार्केट्स की जरूरतों के अनुरूप होते हैं। इसलिए ऐसे कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ छात्रों और शिक्षार्थियों की जानकारी को उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं जिससे वे भारतीय और वैश्विक बाज़ार के लिए रोजगार योग्य बनते हैं और जॉब के लिए तैयार होते हैं।

इस संदर्भ में कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रयासों में अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे भारत में कुशल कार्मिकों का एक विश्वस्तरीय पूल विकसित हो सकेगा। इसलिए छात्रों, शिक्षार्थियों, और शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योग और व्यापक रूप से राष्ट्रीय कौशलीकरण तंत्र के हित में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अंतर्गत क्रेडिटाइजेशन सहित उनके द्वारा आयोजित

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को मान्यता दे कर उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण और कौशलीकरण तंत्र के साथ संबद्ध करना जरूरी है।

इस प्रकार कौशलीकरण तंत्र में अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहभागिता आवश्यक है क्योंकि वे कुशल कार्मिकों के रूप में उत्पादों और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता होते हैं। ये कंपनियाँ कौशल आवश्यकताओं का निर्धारण करने, भविष्य के रुझानों का पूर्वानुमान करने, और तदनुसार प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाने और अर्हताएँ/जॉब भूमिकाएँ विकसित करने, छात्रों/शिक्षार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करते हुए मौजूदा जरूरतों के लिए कुशल बनाने में सक्षम हैं। इस प्रकार इन कंपनियों को भारत को 'विश्व की कौशल राजधानी' बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वीईटी) और कौशलीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने और इनकी अगुवाई करने की जरूरत है।

1.2 शिक्षा और कौशलीकरण में नीतिगत प्रयास

सरकार के **कौशल भारत मिशन** का उद्देश्य रोजगार सृजन के लिए उद्योगों द्वारा अपेक्षित कौशल और कार्मिकों के कौशल के बीच अंतर को समाप्त करना है जिससे भारतीय व्यवसायों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। **राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015** का एक प्रमुख उद्देश्य *'उद्योग की सेक्टरवार जरूरतों और 'मेक इन इंडिया' जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित देश की रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ कुशल कार्मिकों की आपूर्ति को संरेखित करके मानव संसाधन की जरूरतों का समाधान करना है।'* इस नीति का उद्देश्य उद्योग सहभागिता को बढ़ाना और बाजार-आधारित प्रशिक्षण मानकों और पाठ्यक्रम विकसित करना भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में छात्रों और शिक्षार्थियों की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी सुनिश्चित करते हुए सामान्य (अकैडमिक) और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करके शिक्षा को अधिक समग्र और प्रभावी बनाने पर ज़ोर दिया गया है। इसमें कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाओं का प्रावधान किया गया है जिनके माध्यम से अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन किए जा सकेंगे और इसमें विभिन्न प्रवेश तथा निकास विकल्प होंगे, और इस प्रकार सख्त सीमाएं हटाई जाएंगी और जीवनपर्यंत अधिगम के लिए नई संभावनाएँ बनेंगी।

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) में व्यापक, बहुविषयक, समग्र शिक्षा, और सभी प्रकार के अधिगम के क्रेडिटाइजेशन का प्रावधान किया गया है, जिससे अकैडमिक क्षेत्र, व्यावसायिक

क्षेत्र और इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता, काम के साथ प्रशिक्षण और कार्य अनुभव सहित अनुभव के साथ अधिगम के लिए क्रेडिट्स का एकीकरण किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क में कल्पनाशील और आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम संरचनाओं, असाइनमेंट, आकलन के शर्ताधीन ऑनलाइन, डिजिटल और मिश्रित अधिगम सहित क्रेडिट्स एकत्रित करने, संग्रहित करने, हस्तांतरित करने और रिडीम करने का भी प्रावधान है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समानता स्थापित की गई है, विभिन्न प्रवेश और विभिन्न निकास (एमई-एमई) विकल्पों का प्रावधान किया गया है, जिससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से इसका प्रचालन सुनिश्चित होता है। इसमें औपचारिक शिक्षा और कौशलीकरण तंत्र के बाहर के शिक्षार्थियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपस्किलिंग के साथ या इसके बिना पूर्व-शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) का और इसके लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट स्तरों और क्रेडिट असाइनमेंट का भी प्रावधान है।

इस प्रकार राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क विभिन्न प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ जीवनपर्यंत अधिगम को प्रोत्साहन देता है जिसमें शिक्षार्थी न केवल आसानी से काम और सीखने के बीच स्विच कर सकता है, बल्कि सीखने के साथ-साथ काम भी कर सकता है।

1.3 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को टीवीईटी क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम और मानदंड स्थापित करते हुए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) को सम्मिलित करते हुए 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू के माध्यम से एक व्यापक विनियामक के तौर पर अधिसूचित किया गया है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद को अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं और प्रशिक्षण निकायों को मान्यता देने और उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने के लिए, और अधिसूचना में उल्लिखित अन्य आकस्मिक कार्य करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणवत्ता में सुधार और विनियमन का कार्य सौंपा गया है। एनसीवीईटी की स्थापना से व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) और कौशल तंत्र में अलग-अलग भागों में बंटे विनियामक फ्रेमवर्क को समेकित भी किया गया है।

एनसीवीईटी के प्रमुख कार्य अवार्डिंग निकायों (एबी), आकलन एजेंसियों (एए) को मान्यता देना, इनका विनियमन और निगरानी, एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क) के

अनुसार अर्हताओं का अनुमोदन और मान्यताप्राप्त इकाइयों की निगरानी, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना है।

1.4 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)

राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) सभी अर्हताओं के लिए एक एकल एकीकृत फ्रेमवर्क के रूप में मंत्रिमंडल की अधिसूचना के माध्यम से वर्ष 2013 में लाया गया था। यह राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा तथा क्षमता आधारित फ्रेमवर्क है जो व्यक्तियों को वांछित सक्षमता स्तर प्राप्त करने, जॉब मार्केट में पारगमन करने और सही समय पर उनकी क्षमताओं को और अपग्रेड करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने के लिए वापस लौटने में समर्थ बनाता है।

एनएसक्यूएफ को अब एनसीवीईटी के साथ संबद्ध किया गया है और यह प्रचालन में है और अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विनियामकों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), केंद्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), चुनिन्दा राज्य कौशल विकास मिशनों, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) सहित अवार्डिंग निकायों, सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) और चुनिन्दा उद्योग निकायों के प्रतिनिधित्व वाली राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) के माध्यम से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा एनसीवीईटी को 'अर्हता पैकेजेज़ के अनुमोदन के लिए, और दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से अर्हता पैकेजेज़ अनुमोदित करने के लिए' दिशानिर्देश बनाने में सक्षम बनाते हुए दिनांक 5 दिसंबर 2018 की अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू के पैरा 16(एफ) के प्रावधानों और बाद में सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को अनुमोदित करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा 10 अप्रैल, 2013 को इसकी अधिसूचना जारी करने और दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस संख्या एफ.सं. 2-3/2022 (क्यूआईपी) के आधार पर दिनांक 13 दिसंबर 2013 की पूर्व की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 6 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 22001/01/2023/एनसीवीईटी के माध्यम से युक्तिसंगत और संशोधित राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को अधिसूचित किया गया है।

चूंकि एनएसक्यूएफ परिणाम-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए एनएसक्यूएफ की सफलता के लिए उद्योग और नियोक्ताओं की सहभागिता एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है। एनएसक्यूएफ के मानकों का प्रयोग करके जॉब मार्केट के अनुसार जॉब भूमिकाओं की

पहचान की जा सकती है और उद्योग के साथ परामर्श और सहमति से उद्योग मानकों के अनुसार अर्हताएँ डिज़ाइन की जा सकती हैं।

स्तर वर्णनकर्ताओं के साथ विस्तृत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अधिसूचना https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/National-Skills-Qualification-Framework-notification-June-2023.pdf पर उपलब्ध है।

2. दिशानिर्देशों के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

2.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को लागू किए जाने के साथ व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के विभिन्न आयामों के लिए मार्ग खुल गए हैं। विभिन्न अन्य लाभों के साथ समान उद्देश्य प्राप्त करने में क्रेडिट्स एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। हालांकि किसी कौशल अर्हता को क्रेडिटाइज़ करने में समर्थ होने के लिए एनएसक्यूएफ़ संरेखण, अनुमोदन और आकलन के माध्यम से इसे मान्यता दिलवाना और औपचारिक रूप में लाना आवश्यक है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी की अर्हताओं (ओईएम सहित) को मान्यता देने और औपचारिक रूप में लाने के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देशों के प्रारूप का उद्देश्य उनके द्वारा दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देना, औपचारिक रूप देना और क्रेडिटाइज़ करना है। ये कंपनियाँ 'फ्यूचर ऑफ वर्क' में पथ-प्रदर्शक भी हैं और प्रशिक्षण/कौशलीकरण उनके प्रचालनों का प्रमुख व्यवसाय नहीं है, बल्कि उनके पास उनके उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं पर कौशलीकरण है।

इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ओईएम, ओडीएम, और वीएआर सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों के कई कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री/संसाधन नि:शुल्क भी उपलब्ध हैं। ऐसी कंपनियाँ प्रमाण-पत्र जारी करती हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर मान्यता होती है, जॉब मार्केट और उद्योग में प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता होती है, जो छात्रों और शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए ये दिशानिर्देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त और मानकीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भारत के औपचारिक कौशल

तंत्र के साथ संबद्ध होने और उन्हें क्रेडिटाइजेशन के लिए मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

ये दिशानिर्देश शिक्षार्थियों को कौशलीकरण से शिक्षा की ओर और वापस शिक्षा से कौशलीकरण की ओर जाने के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करते हैं, क्योंकि एनईपी और एनसीआरएफ की सहायता से सभी प्रकार के अधिगम को मान्यता दी जा सकती है और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विषयों में जाने के लिए अर्जित क्रेडिट्स का उपयोग किया जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट्स अद्वितीय रूप से एपीएएआर (ऑटोमेटेड पर्मानेंट अकैडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी में पंजीकृत किए जाएंगे और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में संग्रहित किए जाएंगे। इससे न केवल अधिगम को मान्यता मिलेगी और क्रेडिट्स संग्रहित किए जाएंगे बल्कि मोबिलिटी, रिडीम करवाने और ऐसे क्रेडिट्स के उपयोग के माध्यम से बहुविषयक और जीवनपर्यंत अधिगम के विकल्प भी मिलेंगे।

इससे विश्वस्तरीय कार्यबल का एक पूल भी बनाया जा सकेगा जो कुशल होगा और मूल उपकरण निर्माता, मूल डिज़ाइन निर्माता, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता और अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त कौशल प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों में प्रमाणित होगा। गिग इकॉनमी और 'फ्यूचर ऑफ वर्क' की दुनिया में, भविष्य के कौशल के साथ तैयार कार्यबल का ऐसा पूल निश्चित रूप से भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने में सहायक होगा।

2.2 कार्यक्षेत्र

ये दिशानिर्देश इन दिशानिर्देशों के भाग 3 में परिभाषित सामान्य रूप से वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ

3.1 बहुराष्ट्रीय कंपनी

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय (आईबी) में बहुराष्ट्रीय कंपनी (एमएनसी), बहुराष्ट्रीय उद्यम और ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप से और प्राय: एक-दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन या बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऐसे उद्यम होते हैं जो अपने मूल देश के अतिरिक्त एक अथवा अधिक देशों में प्रचालन करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित सफल कंपनियाँ होती हैं जो कई वर्षों प्रगति करके बड़ी कॉर्पोरेशन

बनती हैं जो अपने विजन, कार्यनीतियों, और विकास, निर्माण, परिनियोजन, नियुक्ति, और मार्केटिंग आदि सहित प्रचालनों में अंतर्राष्ट्रीय होती हैं। सामान्यत: उनका स्वयं का एक बड़ा कर्मचारी बेस होता है और पूरे विश्व में मौजूदगी के साथ एक बड़ा प्रयोक्ता बेस भी होता है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही के नवाचारों, विशेष रूप से इंटरनेट की खोज ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास को और आगे बढ़ाया है। 'इंटरनेशनल न्यू वेंचर' (आईएनवी) कंपनी का उभरना इस तथ्य का प्रमाण है। इस प्रकार, सरल शब्दों में बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका मुख्यालय एक देश में होता है और जिसका व्यवसाय और प्रचालन कम से कम एक अन्य देश में होता है। कौशलीकरण/प्रशिक्षण पहल के उद्देश्य से इस परिभाषा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मूल उपकरण निर्माता, मूल डिज़ाइन निर्माता, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता सहित अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण/प्रशिक्षण स्कन्ध/प्रभाग भी शामिल होंगे।

3.1.1 इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण सेवाओं (ईएमएस) सहित मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)

कोई मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) ऐसी प्रणालियाँ या घटक बनाता है जिनका प्रयोग किसी अन्य कंपनी के तैयार उत्पाद में किया जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर निर्माता सामान्यत: उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों/समाधानों में प्रोसेसर और सॉफ्टवेर जैसे ओईएम पुर्जे बंडल या एकीकृत करते हैं। आज के संदर्भ में, किसी मूल उपकरण निर्माता का अर्थ प्रौद्योगिकी - हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, परिसर के अंदर या परिसर के बाहर (प्राय: एक सर्विस मॉडल के रूप में) प्रदान की जाने वाली, बंडल में या अलग से, या दोनों के संयोजन में प्रौद्योगिकी के मूल सृजक से भी हो सकता है। इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण सेवाओं (ईएमएस) को भी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) का हिस्सा माना जाता है।

उदाहरण: एपल, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, सैमसंग इलैक्ट्रोनिक्स, फॉक्सकॉन, इंटेल आदि।

3.1.2 मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम)

मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम) मूल उपकरण निर्माताओं से अलग तरह से प्रचालन करते हैं। वे उत्पादों को इन-हाउस विकसित करने के साथ-साथ विचार करते हैं, डिज़ाइन और विनिर्माण करते हैं, और इन उत्पादों को विभिन्न क्लायंट्स द्वारा खरीदा जाता है। व्यवसाय अनुसंधान एवं विकास पर अधिक लागत लगाए बिना किसी विचार को बेचे जा सकने वाले उत्पाद में बदलने के लिए मूल डिज़ाइन निर्माताओं की सेवाएँ लेते हैं।

उदाहरण: फ़्लेक्स लिमिटेड, क्वांटा कंप्यूटर इनकॉर्पोरटेड, पेगाट्रोन कॉर्पोरेशन, विस्ट्रोन कॉर्पोरेशन, सेलेस्टिका इनकॉर्पोरटेड, सनमिना कॉर्पोरेशन आदि।

3.1.3 मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर)

मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) एक संगठन होता है जो सामान्यत: किसी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के लिए बिक्री चैनल का हिस्सा होता है। मूल उपकरण निर्माता अपनी वस्तुओं और सेवाओं को छूट के साथ मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं को उपलब्ध करवाते हैं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता अंतिम प्रयोक्ता को बिक्री-पूर्व मूल्य जोड़ कर मूल उपकरण निर्माताओं की ओर से उत्पाद की बिक्री सुविधाजनक बनाने में मदद करता है (जैसे संकल्पनाओं का प्रमाण उपलब्ध करवाना और बिक्री-पूर्व इंजीनियरिंग और बिक्री सहयोग उपलब्ध करवाना)। इन सेवाओं के लिए मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता उत्पाद की अंतिम बिक्री कीमत में कुछ बढ़ोतरी करते हैं।

उदाहरण: वेलोसियो, सिरियस कंप्यूटर सॉल्यूशन्स, प्रोसर्व सॉल्यूशन्स, एक्टिओन असोसिएट्स, टाटा टेक्नोलॉजीज आदि।

3.1.4 वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण

माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको, अल्फाबेट (गूगल), एमेजोन, एनवीडिया, नेस्ले, रॉश आदि।

3.2 अन्य अग्रणी भारतीय उद्यम

आकार, कारोबार, रोजगार क्षमता, निर्यात क्षमता, प्रचालन, रणनीतिक महत्व, निर्माण, संविदा विनिर्माताओं (सीएम), आफ्टरमार्केट्स, सेवाओं और शिक्षा में प्रचालन आदि के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के अग्रणी भारतीय उद्यमों के अन्य वर्गीकरण हैं। इन अग्रणी भारतीय उद्यमों में से कई प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख उद्यमों में लौह एवं इस्पात, औषधि, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज, दूरसंचार, एफएमसीजी, निर्माण एवं इंजीनियरिंग, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो घटक, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जूट, चीनी, सीमेंट, कागज, खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, वित्तीय सेवाएँ, बैंकिंग और बीमा आदि शामिल हैं।

अग्रणी भारतीय उद्यमों की संकेतात्मक सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, भारती एयरटेल, टाटा स्टील लिमिटेड, महेन्द्रा ग्रुप, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड आदि को शामिल किया जा सकता है।

3.3 मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय

कोई इकाई, जो समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एनसीवीईटी के साथ मान्यता प्रदान करने के लिए कोई समझौता करती है और जिसे प्रशिक्षण निकायों को

प्रत्यायित/संबद्ध करके और अच्छी गुणवत्ता का प्रशिक्षण सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन को विनियमित करने के लिए किसी अनुमोदित अर्हता या कौशल के लिए प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थी को प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति दी जाती है और जो प्रशिक्षु को किसी मान्यताप्राप्त आकलन एजेंसी (एए) के माध्यम से मूल्यांकित करवाती है।

3.4 मान्यताप्राप्त आकलन एजेंसी

कोई इकाई, जो समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एनसीवीईटी के साथ मान्यता प्रदान करने के लिए कोई समझौता करती है और जिसे यह आकलन करने के लिए कि किसी प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थी ने किसी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय द्वारा किसी अनुमोदित कौशल या अर्हता के संबंध में अपेक्षित क्षमताएँ/अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, परीक्षण करने या परीक्षाएँ/आकलन आयोजित करने की अनुमति दी जाती है।

4. कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन

4.1 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित और अनुमोदित "अर्हता"

राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित और अनुमोदित "अर्हता" या "कौशल" का अर्थ है कोई अर्हता या कौशल जिसके संदर्भ में एनसीवीईटी ने राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) में दिए गए प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार कोई अर्हता पैकेज अनुमोदित किया है।

4.2 कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को मान्यता दिलवाने के मानदंड

4.2.1 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए

इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से अपने कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को मान्यता दिलवाने के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के रूप में पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:

i. **वित्तीय मानदंड:** भारत से बाहर मुख्यालय वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत सहित कम से कम पाँच (5) देशों में प्रचालन होना चाहिए और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम **2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (दो बिलियन डॉलर) का वार्षिक कारोबार** होना चाहिए।
ii. **पूर्व अनुभव:** कंपनी ने **पिछले तीन (3) वर्षों में** अपने स्वयं के कर्मचारियों सहित **वैश्विक रूप से कम से कम 2,50,000 छात्रों/शिक्षार्थियों/कर्मचारियों** के लिए कौशल

प्रशिक्षण और आकलनों का आयोजन किया होना चाहिए, जिनमें से **कम से कम 10,000 भारत में होने चाहिए**।

iii. एनसीवीईटी लोक हित में किसी विशिष्ट क्षेत्र में, उभरती हुई/भविष्य की टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में, नए जमाने के/भविष्य के कौशल के क्षेत्रों में या रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए मामला-दर-मामला आधार पर उपर्युक्त मानदंडों को संशोधित कर सकती है।

4.2.2 अग्रणी भारतीय उद्यमों के लिए

i. **वित्तीय मानदंड:** भारत के कंपनी रजिस्ट्रार के साथ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसी भारतीय कंपनी के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में **वार्षिक कारोबार कम से कम 8,000 करोड़ रुपये होना चाहिए**।

ii. **पूर्व अनुभव:** कंपनी ने पिछले तीन (3) वर्षों में **अपने स्वयं के कर्मचारियों सहित कम से कम 10,000 छात्रों/शिक्षार्थियों/कर्मचारियों** का कौशल प्रशिक्षण या प्रशिक्षण और आकलन किया होना चाहिए।

iii. एनसीवीईटी लोक हित में किसी विशिष्ट क्षेत्र में, उभरती हुई/भविष्य की टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में, नए जमाने के/भविष्य के कौशल के क्षेत्रों में या रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए मामला-दर-मामला आधार पर उपर्युक्त मानदंडों को संशोधित कर सकती है। **आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रम/अर्हताएँ उनके स्वयं के उत्पादों, उच्च माँग वाली सेवाओं या प्रौद्योगिकियों से संबंधित होनी चाहिए।**

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा करवाए जाने वाले कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का क्रेडिटाइजेशन (राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत) करने के लिए ये पाठ्यक्रम/अर्हताएँ उनके स्वयं के उत्पादों, उद्योग/बाजार में उच्च माँग वाली सेवाओं या प्रौद्योगिकियों से संबंधित होनी चाहिए, और इनके द्वारा वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय संख्या में रोजगार सृजित किए गए हों, जिससे छात्रों/शिक्षार्थियों/कर्मचारियों की रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।

4.2.3 कंपनी की कानूनी स्थिति और अन्य शर्तें:

इकाई कंपनी के रूप में रजिस्टर होनी चाहिए और कंपनी का लागू क़ानूनों के अनुसार भारत में प्रचालन के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ एक वैध कानूनी अस्तित्व होना चाहिए।

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जो उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करती हैं, वे एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य अवार्डिंग निकायों की तरह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर सेक्शन 8 कंपनी नहीं भी हो सकती है।

4.2.4 ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम प्लेटफॉर्म्स और एड्यू टेक/ईडी टेक कंपनियाँ इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं

केवल ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम प्लेटफॉर्म्स/पाठ्यक्रम, कोई वेबस्पेस या पोर्टल प्रदान करने वाली पूरी तरह से प्रौद्योगिकी कंपनियाँ (जिन्हें संक्षेप में एड्यू टेक, या ईडी टेक कंपनियाँ कहा जाता है) इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती हैं।

4.2.5 मानदंडों में संशोधन

पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के माध्यम से कौशलीकरण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने और भारत के व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशलीकरण उद्देश्यों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता के शर्ताधीन छात्रों, शिक्षार्थियों और कार्यबल के समग्र हित में उपर्युक्त मानदंडों में से किसी भी मानदंड को एनसीवीईटी द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

4.3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन की प्रक्रिया

अपने कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को मान्यता दिलवाने के लिए उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से एनएसक्यूसी अनुमोदन प्रक्रिया को अपना कर राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ अपनी अर्हताओं को संरेखित करने के लिए पात्र हैं।

4.3.1 अवार्डिंग निकाय के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता (मानक/दोहरी) प्राप्त करने के बाद अवार्डिंग निकाय के तौर पर एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत करना

अवार्डिंग निकाय के रूप में एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त होने से वह इकाई अपने कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित करने और स्वयं अनुमोदित करने के लिए भी पात्र हो जाती है जिससे प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थी के अधिगम का क्रेडिटाइजेशन किया जा सकेगा और उन्हें एनसीवीईटी प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

इस प्रक्रिया से प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थी अन्य लाभों के साथ-साथ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र के साथ राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में क्रेडिट्स संग्रहित कर सकते हैं।

तथापि, कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को एनसीवीईटी प्रमाणन और क्रेडिटाइजेशन प्रदान करने के लिए अवार्डिंग निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानक श्रेणी के अवार्डिंग निकाय के मामले में आकलन एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी द्वारा या अवार्डिंग निकाय के एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित दोहरी श्रेणी के अवार्डिंग निकाय होने की स्थिति में स्वयं अवार्डिंग निकाय (एबी) द्वारा किया जाना चाहिए।

संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी को एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए मानक मानदंडों और एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदन के अनुसार अर्हता टेम्पलेट्स/प्रारूप में एनसीवीईटी को अपनी अर्हताएँ/पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने होंगे।

4.3.2 संबंधित क्षेत्र में पहले से एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत करना

इस मामले में मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जिस सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्र में ऐसे कौशलीकरण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ लागू करना चाहती हैं उस सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्र में एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मौजूदा अवार्डिंग निकाय (एबी) के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए एनसीवीईटी को अपने कौशलीकरण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत कर सकती हैं। संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी को संबंधित मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के माध्यम से एनएसक्यूएफ के मानक मानदंडों के अनुसार अर्हता टेम्पलेट्स/प्रारूप में एनसीवीईटी को अपनी अर्हताएँ/पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने होंगे।

एनएसक्यूसी द्वारा कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हता अनुमोदित किए जाने के बाद प्रशिक्षण और आकलन का समन्वय करने की ज़िम्मेदारी संबंधित मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय की होगी जो इन कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के कार्यान्वयन के दौरान एनसीवीईटी के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

4.3.3 एक बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम के रूप में एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत करना

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त किए बिना या पहले से मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के माध्यम से प्रस्तुत किए बिना एक प्रतिष्ठित उद्योग की क्षमता में अपनी अर्हताएँ एनसीवीईटी को प्रस्तुत करने का भी विकल्प है। इस मामले में, एनसीवीईटी ऐसी अर्हताओं की अभिरक्षक होगी और यह इस सेक्टर में प्रामाणिक क्षमता, विश्वसनीयता और साख वाले किसी पहले से मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय को इन अर्हताओं को लागू करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। एनसीवीईटी शिक्षार्थियों को एनसीवीईटी के प्रमाणन मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अवार्डिंग निकाय और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा संयुक्त प्रमाणन का विकल्प भी देगी। इस प्रकार के एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी मानक एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार अर्हता टेम्पलेट्स/प्रारूप में एनसीवीईटी को अपनी अर्हताएँ/पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर सकती हैं। (https://ncvet.gov.in/qualification-related/)

इस प्रकार प्रस्तुत की गई अर्हता का नामकरण जॉब के प्रचलित मानदंडों के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे प्रतिष्ठित उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई अर्हता का नाम 'इस प्रावधान के अंतर्गत किसी ऐसे निकाय द्वारा प्रस्तुत' के रूप में दर्शाया जाता रहेगा। प्रतिष्ठित उद्योग के रूप में अर्हताओं के एनएसक्यूएफ संरेखण से संबंधित विस्तृत प्रावधान अनुबंध I में संलग्न हैं।

4.4 अवार्डिंग निकाय के तौर पर एनसीवीईटी की मान्यता (मानक/दोहरी) प्राप्त करने की प्रक्रिया

इन दिशानिर्देशों के भाग 3 में परिभाषित मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित करने, प्रशिक्षण कार्यान्वित करने, निम्नलिखित तरीकों से एनसीवीईटी के अनुसार आकलन करवाने के लिए अवार्डिंग निकाय (एबी) के तौर पर भी एनसीवीईटी की मान्यता के लिए अनुरोध कर सकती हैं।

4.4.1 मानक श्रेणी अवार्डिंग निकाय के तौर पर:

अवार्डिंग निकाय की इस श्रेणी के अंतर्गत मान्यताप्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित और एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित करवाता है, स्वयं या अपने प्रत्यायन/संबद्ध प्रशिक्षण निकायों के माध्यम से प्रशिक्षण करवाता है, एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी आकलन एजेंसी (एए) द्वारा प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थियों का आकलन करवाता है और उन्हें किसी अनुमोदित कौशल या अर्हता के संदर्भ में प्रमाणित करता है। तथापि कोई मानक मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय स्वयं प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थियों का आकलन नहीं करता है। इस मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनी एनसीवीईटी के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्र में एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त आकलन एजेंसियों की सेवाएँ लेगी और इसे अलग आकलन अवसंरचना और संसाधन विकसित करने और प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4.4.2 दोहरी श्रेणी अवार्डिंग निकाय के तौर पर:

अवार्डिंग निकाय की इस श्रेणी के अंतर्गत मान्यताप्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम एक मानक मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के सभी कार्य निष्पादित करता है और इसके अतिरिक्त इसके द्वारा विकसित और एनएसक्यूएफ द्वारा अनुमोदित अर्हताओं के संबंध में किसी आकलन एजेंसी (एए) की भूमिका निभाता है। इस प्रकार एक मानक मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय स्वयं भी प्रशिक्षु/छात्र/शिक्षार्थियों की परीक्षाएँ/आकलन आयोजित करता है। हालांकि यह संसाधनों के आवंटन के साथ-साथ आकलन क्रियाकलापों को प्रशिक्षण क्रियाकलापों से अलग रखने के साथ पर्याप्त आकलन क्षमता और अवसंरचना विकसित और प्रदर्शित करेगा।

4.4.3 अवार्डिंग निकाय के तौर पर मान्यता (मानक या दोहरी) प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रारूप

एक अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता (मानक या दोहरी) प्राप्त करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी या अग्रणी भारतीय उद्यम **अनुबंध 2** में संलग्न प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

दिशानिर्देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यम द्वारा अपनी अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित करके और राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित करवा कर उनके द्वारा आयोजित कौशलीकरण और प्रशिक्षण

पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए प्रावधान किया गया है। मौजूदा अवार्डिंग निकाय तंत्र और संरेखण माध्यम अप्रभावित रहेंगे।

4.5 कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का अनुमोदन:

उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निर्धारित एनएसक्यूएफ अर्हता टेम्पलेट/प्रारूप में उनके कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ प्रस्तुत कर सकती हैं। (टेम्पलेट https://ncvet.gov.in/qualification-related/ पर उपलब्ध है)।

प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित एनएसक्यूएफ मानक/मानदंड ऐसे कौशलीकरण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं की वैश्विक प्रतिष्ठा और बाजार माँग के कारण संभवत: उन पर लागू नहीं होंगे:

i. **जरूरत का प्रमाण** क्योंकि ये कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ पहले से वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त और स्वीकार्य हैं।
ii. **उद्योग वैधीकरण** क्योंकि कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ उद्योग लीडर्स द्वारा स्वयं लाई जा रही हैं।
iii. **संबंधित मंत्रालय की सहमति** क्योंकि ये पूरी तरह से बेहतरीन जॉब संभावनाओं वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यमों से संबंधित कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ हैं।

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ और एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम मानक एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड किया जाएगा। मूलभूत विषयवस्तु के साथ इस प्रकार अपलोड किए गए कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हताएँ छात्रों/शिक्षार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या अग्रणी भारतीय उद्यम नि:शुल्क उपलब्ध अनुमोदित कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं से संबंधित विस्तृत अधिगम सामग्री/विषयवस्तु भी बना सकता है। तथापि कुछ कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के संबंध में प्रमाणन के उद्देश्य से आकलन शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।

4.6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों या अग्रणी भारतीय उद्यम के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं की प्रकृति

बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यम की एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित तथा अनुमोदित अर्हताएँ स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा या डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र आदि जैसे कौशल शिक्षा कार्यक्रमों में वैकल्पिक कार्यक्रमों के रूप में उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनी या अग्रणी भारतीय उद्यम से संबंधित विशिष्ट पाठ्यक्रमों/अर्हताओं पर संबंधित विनियामकों/उच्च शिक्षा संस्था द्वारा किसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के लिए ज़ोर नहीं दिया जाएगा या इन्हें अनिवार्य/आवश्यक पाठ्यक्रम/अर्हता नहीं बनाया जाएगा।

तथापि कोई छात्र/शिक्षार्थी निर्धारित उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के अतिरिक्त इन पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का अध्ययन कर सकता है और शिक्षार्थी द्वारा इस प्रकार अर्जित क्रेडिट्स पर अवार्डिंग निकाय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र अवार्ड करने के लिए विचार किया जा सकता है।

4.7 कौशलीकरण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं का क्रेडिटाइजेशन और प्रमाणन

4.7.1 क्रेडिटाइजेशन और प्रमाणन

अधिगम का क्रेडिटाइजेशन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अग्रणी भारतीय उद्यम के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के लिए एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र प्रारूप में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के प्रावधानों के अनुसार अवार्ड किया जाएगा और प्रमाण-पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा। छात्र/शिक्षार्थी/कार्यबल कार्मिक अपने एपीएएआर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑपरेट किए जाने वाले अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में अपने क्रेडिट्स संग्रहित कर सकेंगे।

4.7.2 प्रमाण-पत्र के प्रारूप

ऐसे कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के लिए छात्र/शिक्षार्थी/कार्यबल कार्मिक का प्रमाणन बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों पर लागू एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र प्रारूपों के अनुसार होगा। प्रमाण-पत्र में संबंधित अवार्डिंग निकाय (एबी) या उच्च शिक्षा संस्था (एचईआई) और बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम द्वारा एनसीवीईटी की ओर से संयुक्त प्रमाणन के लिए भी प्रावधान होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी अभ्यर्थियों को अपना स्वयं का अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी जारी कर सकती है। वैश्विक पद्धतियों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यम द्वारा प्रमाणन की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता

बनाए रखने के लिए विशेष परिस्थितियों में प्रमाण-पत्र के प्रारूप में एनसीवीईटी द्वारा उचित संशोधन किए जाने की अनुमति दी जा सकती है।

4.7.3 कौशल भारत ब्रांडिंग

बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों के एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित और अनुमोदित पाठ्यक्रमों/अर्हताओं पर आयोजित किए जाने वाले सभी कौशलीकरण और प्रशिक्षणों पर कौशल भारत का लोगो और ब्रांडिंग भी होगी।

4.8 डेटा साझा करना:

चूंकि कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/अर्हता पर आधारित प्रमाणन राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिटाइज़ किया जाएगा, इसलिए यह वांछनीय है कि संबंधित छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्मिकों की सहमति से छात्र/शिक्षार्थी/कार्मिक का सत्यापन योग्य डेटा साझा किया जाए।

यह डेटा संबंधित कौशलीकरण तंत्र के हितधारकों सहित एनसीवीईटी या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा।

तथापि इस प्रकार डेटा साझा किया जाना "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023" के प्रावधानों के शर्ताधीन होगा।

मूल उपकरण निर्माता, मूल डिज़ाइन निर्माता, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता, या अग्रणी भारतीय उद्यम सहित बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्यबल कार्मिकों का प्रशिक्षण डेटा और आकलन डेटा अधिगम के क्रेडिटाइजेशन और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार एनसीवीईटी के निम्नलिखित मान्यताप्राप्त निकायों/सरकारी एजेंसियों के साथ क्रेडिट्स के असाइनमेंट, संग्रहण, अंतरण और रिडीम करने के लिए निर्धारित प्रारूप/एपीआई के माध्यम से साझा किया जाना होगा:

i. कौशलीकरण/प्रशिक्षण को प्रबंधित करने और प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संबंधित अवार्डिंग निकाय (एबी)। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय प्रशिक्षण के सुचारु कार्यान्वयन, आकलन, शिक्षार्थियों के प्रमाणन और क्रेडिट्स अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को अंतरित करने के लिए संबंधित आकलन एजेंसियों के साथ प्रशिक्षण बैच और अन्य अपेक्षित विवरण साझा करेगा।
ii. छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्यबल कार्मिकों का आकलन करने के लिए आकलन एजेंसी (एए)। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार मान्यताप्राप्त आकलन एजेंसी भी आकलन डेटा संबंधित अवार्डिंग निकाय के साथ साझा करेगी।

iii. स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी)।

iv. डिजिलॉकर और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) प्लेटफॉर्म्स।

यदि छात्र/शिक्षार्थी/कार्यबल कार्मिक संबंधित हितधारकों के साथ डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति नहीं देता है तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी उद्योग के ऐसे कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं के लिए कोई क्रेडिट्स नहीं दिए जाएंगे।

डेटा "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023" के अनुपालन में साझा किया जाएगा, जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को इस प्रकार प्रोसेस करने का प्रावधान है जिसके तहत व्यक्तियों के उनके व्यक्तिगत डेटा को संरक्षित करने के अधिकार और कानूनी प्रयोजनों से और इससे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

डेटा के कानूनी रूप से वैध प्रयोग, सहमति, डेटा प्रदाता के अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के साथ "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023" के खंड 4, 6 और 11 मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संबंधित शिक्षार्थी(यों) और/या संगठन से इस संबंध में सहमति प्राप्त करने के साथ-साथ इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित सभी प्रयोजनों के लिए डेटा साझा करने के संबंध में किए जाने वाले सभी कार्यकलापों पर सख्ती से लागू किए जाने चाहिए।

4.9 अन्य लागू एनसीवीईटी दिशानिर्देश:

तथापि "अवार्डिंग निकायों को मान्यता देने और उनके विनियमन के लिए दिशानिर्देश और आकलन एजेंसियों को मान्यता देने और उनके विनियमन के लिए दिशानिर्देश" (https://ncvet.gov.in/guidelines/) में उल्लिखित प्रावधान "बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यम के प्रशिक्षण और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश" में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार संशोधित माने जाएंगे।

मूल उपकरण निर्माताओं, मूल डिज़ाइन निर्माताओं, और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेताओं, या एनसीवीईटी द्वारा मान्यताप्राप्त अग्रणी भारतीय उद्यमों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और कौशलीकरण तंत्र के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए इन पर भी एनसीवीईटी के निम्नलिखित अन्य दिशानिर्देश लागू होंगे:

i. मल्टी-स्किलिंग और क्रॉस-सेक्टोरल स्किलिंग के लिए दिशानिर्देश

ii. व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण हेतु मिश्रित अधिगम के लिए दिशानिर्देश

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल्स (एमसी) के विकास, अनुमोदन और उपयोग के लिए दिशानिर्देश

तथापि, किसी भी विनियम का अनुप्रयोग ऐसी कंपनियों द्वारा कार्यान्वित कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/अर्हताओं सहित केवल व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशलीकरण प्रचालनों के संबंध में होगा।

5. हितधारकों के लिए सुविधाएं और लाभ

छात्र/शिक्षार्थी	**नियोक्ता**	**मूल उपकरण निर्माताओं सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ**	**सरकार**
उद्योग के नेतृत्व में, उद्योग द्वारा विधीक्षित और उद्योग द्वारा कार्यान्वित अर्हताएँ शिक्षार्थी द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार क्रेडिट्स का संचयन संचित प्रमाण-पत्रों और क्रेडिट्स का इलैक्ट्रोनिक रूप से डिजिलॉकर और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में संग्रहण क्रेडिट्स रिडीम करवा कर व्यावसायिक और शैक्षणिक विषय-क्षेत्रों के बीच बेहतर मोबिलिटी	अपेक्षित क्षेत्रों में उद्योग के लिए तैयार और कुशल कार्यबल की उपलब्धता नियुक्ति और प्रशिक्षण की कम लागत के साथ प्रभावी और कुशल भर्ती प्रचालन की कम लागत बेहतर उत्पादकता कार्मिकों की संख्या कम करने और	भारत सरकार द्वारा मान्यता बेहतर विश्वसनीयता और स्वीकार्यता मानकीकृत कार्यविधियों और मानदंडों के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता के परिणाम एनसीवीईटी के लोगो के साथ एक समान प्रमाण-पत्र अर्हताओं का राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और राष्ट्रीय व्यवसाय	देश में बेरोजगारी में कमी औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि जिससे देश का समग्र आर्थिक विकास होता है कुशल कार्यबल के एक पूल का सृजन उच्च गुणवत्ता के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणनों को मान्यता प्रशिक्षण और प्रमाणनों के

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रोजगार क्षमता और बाजार पहचान एनएसक्यूएफ के स्तर और एनसीओ कोड के साथ मैप किया गया सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमाणन प्रशिक्षण और प्रमाणन की कम लागत किसी शिक्षार्थी द्वारा अर्जित अर्हता(एँ) राष्ट्रीय कौशल संग्रह/डिजिलॉकर/ अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए खाते/वॉलेट/ ऐसी किसी अन्य व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है कौशल का बेहतर मूल्य/प्रतिफल, जो आर्थिक प्रगति में योगदान देता है।	छंटनी की दर में कमी। डिजिलॉकर और अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से प्रमाण-पत्रों और क्रेडिट्स का सत्यापन	वर्गीकरण (एनसीओ) के साथ संरेखण सरकारी फंडिंग के लिए पात्र अर्हताओं की अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फ्रेमवर्क्स के साथ मैपिंग अर्जित लाभों के कारण औपचारिक प्रमाणनों की बड़ी संख्या वैश्विक जरूरतों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी/मूल उपकरण निर्माताओं की टेक्नॉलॉजी में कुशल बड़े प्रतिभा पूल का सृजन/उपलब्धता	विभिन्न मॉडल्स का राष्ट्रीय नीतिगत पहलों जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ संरेखण। कुशल कर्मचारियों का सुदृढ़ डेटाबेस।

अनुबंध 1

<u>किसी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों द्वारा प्रस्तुत की गई अर्हताओं के अनुमोदन के लिए प्रावधान</u>

1. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ/अग्रणी भारतीय उद्यम (मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों के अतिरिक्त), जिन्होंने बाजार के लिए प्रासंगिक अर्हताएँ विकसित की हैं और जो इनका कार्यान्वयन कर रहे हैं और/या जिन्होंने प्रदर्शन योग्य क्षमताओं के साथ कौशल अर्हताओं को विकसित करने और कार्यान्वित करने की इच्छा जताई है, अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना एनएसक्यूएफ संरेखण और ऐसी अर्हताओं के अनुमोदन के लिए एनसीवीईटी से संपर्क कर रहे हैं।

2. उपर्युक्त के अनुरूप, बहुराष्ट्रीय कंपनियों/अग्रणी भारतीय उद्यमों (मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों के अतिरिक्त) की निश्चित गुणवत्ता की बाजार के अनुरूप अर्हताओं पर एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए विचार किया जा सकता है और एनएसक्यूएफ के मानक मानदंडों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने के शर्ताधीन अनुमोदन के लिए एनएसक्यूएफ के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है:

क) अर्हताएँ किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए जो कोई सरकारी या निजी क्षेत्र का संगठन हो सकता है;

ख) अर्हता उद्योग की जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के पाठ्यक्रम और विषयवस्तु के साथ अच्छे प्रकार से डिज़ाइन और विकसित की जानी चाहिए;

ग) अर्हता बाजार में उच्च माँग वाले कौशलों, बेहतर रोजगार संभावनाओं या उद्यमिता/स्वरोजगार अवसरों के साथ उद्योग द्वारा अपेक्षित भविष्य के कौशलों से संबंधित होनी चाहिए;

घ) एनसीवीईटी ऐसी अर्हताओं की अभिरक्षक होगी और इस सेक्टर में प्रामाणिक क्षमता, विश्वसनीयता और साख वाले किसी पहले से मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय को ऐसी अर्हताओं को लागू करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है;

ङ) इस श्रेणी में अनुमोदित अर्हताएँ एनसीवीईटी में राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) का हिस्सा बन जाएंगी और अपनाने के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाने के लिए सभी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों के पास उपलब्ध होंगी;

च) ऐसी अर्हताओं की वैधता एनएसक्यूएफ के मानक मानदंडों के अनुसार होगी और अर्हताओं का संशोधन संबंधित अग्रणी भारतीय उद्यमों या एनसीवीईटी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा किया जाएगा;

छ) एनसीवीईटी के प्रमाणन मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार एनसीवीईटी अवार्डिंग निकाय और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा शिक्षार्थियों के संयुक्त प्रमाणन का विकल्प प्रदान करेगी;

3. किसी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के अतिरिक्त अग्रणी भारतीय उद्यमों द्वारा प्रस्तुत की गई अर्हताओं के अनुमोदन के लिए उपर्युक्त प्रावधान केवल "बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यमों के प्रशिक्षण और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश" के भाग 4.2 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली इकाइयों पर लागू होंगे। तदनुसार ऐसी सभी इकाइयां अपेक्षित जानकारी अनुबंध 2 में प्रदान करेंगी (केवल भाग क, ख और ग में और भाग घ के क्रम संख्या 21 और 22 में अपेक्षित सूचना दी जानी है)।

अनुबंध 2

आवेदन पत्र

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्यमों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के क्रेडिटाइजेशन के लिए मान्यता

क्र. सं.	**मानदंड**	**कृपया संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख करें और/या प्रस्तुत करें**
1.	श्रेणी: क) मानक अवार्डिंग निकाय (एबी) की मान्यता अथवा ख) दोहरी अवार्डिंग निकाय (एबी) मान्यता अथवा ग) बहुराष्ट्रीय कंपनी/अग्रणी भारतीय उद्यम (मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों के अतिरिक्त)	
भाग क	**मूलभूत जानकारी**	
2.	कंपनी का नाम	
3.	मूल कंपनी का नाम (यदि लागू हो)	
4.	कंपनी की स्थापना किए जाने की तारीख और स्थान (यदि लागू हो)	
5.	मूल कंपनी की स्थापना किए जाने की तारीख और स्थान (यदि लागू हो)	
6.	पूरा पता और संपर्क सूचना	
7.	कंपनी का वेबसाइट यूआरएल	
8.	प्रमुख और एसपीओसी (सीईओ/शिक्षा और कौशलीकरण प्रमुख) का नाम और पदनाम	
9.	एसपीओसी का मोबाइल फोन/फोन नंबर और ईमेल आईडी	
भाग ख	**कंपनी की कानूनी स्थिति**	
10.	**भारतीय कंपनी के लिए:** कंपनी रजिस्ट्रार के अनुसार रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र	
11.	**विदेशी कंपनी के लिए:** निम्नलिखित में से कोई (जो लागू हो)	

<table>
<tr><td></td><td>क) भारत में सहायक कंपनियों के लिए - कंपनी रजिस्ट्रार के अनुसार रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र
ख) संयुक्त उपक्रमों के लिए - समझौता ज्ञापन/करार</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>कंपनी में कर्मचारियों की संख्या
क) वैश्विक स्तर पर
ख) भारत में
(यदि कानूनी शर्तों जैसे किन्हीं वैध कारणों से सटीक अपेक्षित आंकड़ा देना संभव न हो तो यह अनुमानित संख्या में दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए 30,000 से अधिक कर्मचारी।)</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के प्रयोक्ता समुदाय का अनुमानित/संकेतात्मक आकार
क) वैश्विक रूप से
ख) भारत में
(यदि गुणवत्ता की दृष्टि से यह आंकड़ा प्रस्तुत करना संभव न हो तो इस प्रश्न का उत्तर व्यवसाय के स्वरूप और ग्राहक बेस की प्रकृति स्पष्ट करते हुए परिमाणात्मक रूप से दिया जा सकता है।)</td><td></td></tr>
<tr><td>भाग ग</td><td>प्रचालन का पैमाना</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td><table><tr><td colspan="3">संगठन का राजस्व (पिछले 03 वर्षों में)</td><td></td></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td>वर्ष 2</td><td>वर्ष 3</td><td>कुल</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>प्रचालन के वर्ष
क) वैश्विक स्तर पर
ख) भारत में</td><td></td></tr>
<tr><td>भाग घ</td><td>प्रशिक्षण अनुभव: कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अर्हताएँ</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>विकसित किए जा रहे और उपलब्ध करवाए जा रहे पाठ्यक्रमों/कौशल प्रशिक्षणों/अर्हताओं की संख्या (कृपया सर्वोच्च 50 या 100 कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं की सूची संलग्न करें)
क) ऑनलाइन</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>ख) ऑफलाइन
ग) मिश्रित पद्धति से</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>कृपया निम्नलिखित की संख्या दर्शाएँ (भारत में)
क) कंपनी के स्वयं के प्रशिक्षण केंद्र
ख) कंपनी के प्राधिकृत प्रशिक्षण पार्टनर्स
ग) प्रशिक्षण पार्टनर्स द्वारा संचालित संबद्ध प्रशिक्षण केंद्र</td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>कृपया निम्नलिखित श्रेणियों में कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं का अनुमानित वर्गीकरण दर्शाएँ
क) सामान्य सॉफ्ट स्किल्स/जीवन कौशल
ख) रोजगार क्षमता के लिए कौशल
ग) सामान्य तकनीकी कौशल
घ) विशेषीकृत तकनीकी कौशल
ङ) विशेषीकृत कार्यकारी प्रबंधकीय कौशल
च) अन्य- कृपया उल्लेख करें
(पाठ्यक्रमों के प्रकार के संदर्भ में, यदि ऊपर उल्लिखित पृथक्करण संभव न हो तो यह संगठन के आंतरिक पृथक्करण के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।)</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>इनमें से कितने पाठ्यक्रमों/कौशल प्रशिक्षणों/अर्हताओं में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखण के लिए अपेक्षित निम्नलिखित पहलुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं/इन्हें कवर करते हैं: (कृपया सूची संलग्न करें)
क) अधिगम के परिणाम,
ख) प्राप्त किए गए सक्षमता स्तर,
ग) प्रयोग की जाने वाली आकलन पद्धति
घ) प्रगति के मार्ग</td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>कौशलीकरण और प्रशिक्षण में प्रचालन के कुल वर्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">वैश्विक स्तर पर</td><td colspan="3">उन छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्यबल कार्मिकों की अनुमानित संख्या जिन्हें कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अर्हताएँ प्रदान की गई हैं*</td></tr>
<tr><td>वर्ष 1</td><td>वर्ष 2</td><td>वर्ष 3</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> *(यदि सटीक अपेक्षित आंकड़ा देना संभव न हो तो यह अनुमानित संख्या में दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए 50,000 से अधिक शिक्षार्थी।)	
22.	<table><tr><td>**भारत में**</td><td colspan="3">**उन छात्रों/शिक्षार्थियों/कार्यबल कार्मिकों की अनुमानित संख्या जिन्हें कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अर्हताएँ प्रदान की गई हैं***</td></tr><tr><td></td><td>**वर्ष 1**</td><td>**वर्ष 2**</td><td>**वर्ष 3**</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> *(यदि सटीक अपेक्षित आंकड़ा देना संभव न हो तो यह अनुमानित संख्या में दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए 50,000 से अधिक शिक्षार्थी।)	
23.	उपलब्ध प्रशिक्षकों की संख्या क) भारत में ख) वैश्विक स्तर पर	
भाग ड.	**आकलन करने का अनुभव (केवल दोहरी श्रेणी के अवार्डिंग निकाय आवेदक पर लागू)**	
24.	<table><tr><td>**देश का नाम**</td><td colspan="3">**उनके स्वयं के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के लिए किए गए आकलनों की संख्या**</td></tr><tr><td></td><td>**वर्ष 1**</td><td>**वर्ष 2**</td><td>**वर्ष 3**</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	
25.	अधिगम के परिणामों का परीक्षण करने के लिए आकलन की आयोजना और डिलिवरी की प्रक्रिया, उदाहरण के लिए क) रचनात्मक आकलन,	

	ख) सारांशित आकलन, ग) मानक संदर्भित आकलन घ) मानदंड संदर्भित आकलन ङ) उद्योग सत्यापन आकलन च) एआई आधारित आकलन छ) नैदानिक आकलन ज) बिना किसी क्रम के पीयर टू पीयर आकलन झ) इप्सेटिव या स्व-संदर्भित आकलन ञ) स्व-अधिगम के बाद स्व-आकलन	
26.	उपलब्ध आकलनकर्ताओं की संख्या क) राष्ट्रीय स्तर पर ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	
27.	आप आकलन कैसे करते हैं? क) व्यक्तिगत रूप से/भौतिक रूप से ख) ऑनलाइन प्रोक्टर किया गया ग) ऑनलाइन एआई प्रोक्टर किया गया घ) मिश्रित पद्धति ङ) वीडियो कैप्चरिंग च) कोई अन्य: कृपया उल्लेख करें	
28.	क्या अधिगम के परिणामों का परीक्षण करने के लिए उचित प्रश्न बैंक और प्रश्न हैं, और क्या प्राप्त किए गए सक्षमता स्तर सही स्थान पर हैं (पाठ्यक्रम/अर्हता-वार)	
29.	उपयोग किए जा रहे या उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित आकलन टूल्स (कृपया सूची दें)	
30.	**कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं** के संबंध में फीडबैक तंत्र और इसका विश्लेषण (प्रशिक्षण और आकलन दोनों)	
भाग च	**प्रौद्योगिकी और प्लेटफॉर्म्स का उपयोग**	
31.	**पाठ्यक्रमों और अर्हताओं, कौशलीकरण और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म** की प्रमुख विशेषताएँ	
32.	प्रशिक्षण पोर्टल यूआरएल	
33.	**पाठ्यक्रमों और अर्हताओं**, आकलन इंजन की प्रमुख विशेषताएँ	

34.	आकलन पोर्टल यूआरएल, यदि कोई हो	
35.	प्रशिक्षण/आकलन इंजन को अपनाने और मिश्रित अधिगम टूल्स के साथ संरेखण के संदर्भ में अनुकूलता और क्षमता (कृपया https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/01/Guidelines-for-Blended-Learning-for-Vocational-Education-Training-Skilling.pdf का संदर्भ लें)	

टिप्पणी:

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (एमएनसी) प्रत्येक देश में मिलने वाली विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों के अनुसार अनुकूलन करते हुए विभिन्न प्रकार की कार्यनीतियों और संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न देशों में प्रचालन करती हैं।

i. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विदेशों में स्थानीय प्रचालनों में प्रत्यक्ष निवेश करते हुए सहायक कंपनियाँ या शाखाएँ स्थापित कर सकती हैं।
ii. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ संयुक्त उपक्रमों या रणनीतिक संघ के माध्यम से स्थानीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप्स कर सकती हैं। यह उन उद्योगों में आम है जिनमें स्थानीय विशेषज्ञता अनिवार्य होती है।
iii. किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की संरचना और जिस प्रकार यह प्रचालन करती है, वह भी आवश्यक है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विविध कानूनी, विनियामक, और कर व्यवस्थाओं में प्रचालन करना होता है। इसके लिए श्रम, पर्यावरण, बौद्धिक संपदा, और कराधान से संबंधित स्थानीय क़ानूनों की समझ और अनुपालन की जरूरत होती है।

इसलिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), मूल डिज़ाइन निर्माता (ओडीएम), और मूल्य-वर्धित पुनर्विक्रेता (वीएआर) सहित ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आवेदन पत्र के भाग घ और भाग ड. के सेक्शनों में उल्लिखित सूचना देते हुए उनकी सहायक कंपनियों, मूल कंपनी और स्थानीय संयुक्त उपक्रमों के कौशलीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण अनुभव का विवरण भी प्रदान कर सकती हैं। तथापि ऐसे विवरण का संबंधित कंपनी के नाम और आवेदक कंपनी के साथ इसके संबंध का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। एनसीवीईटी मामले की मेरिट के आधार पर इस पर विचार कर सकती है।

अनुबंध 3

शिक्षा और/या कौशल विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से शामिल प्रमुख कंपनियाँ

1.	इंफ़ोसिस लिमिटेड	
2.	माइक्रोसॉफ्ट इंडिया	
3.	गूगल इंडिया	
4.	एचसीएल सॉफ्टवेयर	
5.	टीसीएस मुंबई	
6.	माइक्रोसॉफ्ट	
7.	ऑटो डेस्क	
8.	रेड हैट	
9.	एमेजोन वेब सर्विसेज	
10.	सर्विस नाऊ	